ક.રા.બી.નિ. હોસ્પિટલ, અંકલેશ્વર,
પ્લોટ નં.H3012, 500 ક્વાટર પાસે,
અંકલેશ્વર, જિ. ભરૂચ
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लाट स. H3012,
500 क्वाटर के पास, अंकलेश्वर, जो.भरूच
ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500
Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch
Website : www.esic.gov.in

કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ
(શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય, ભારત સરકાર)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Email : ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C

सत्यमेव जयते

375/अ/49/2025/क.रा.बी.नि./अंक/राजभाषारिपोर्टफ़ाइल 20-05-2025

परिपत्र

विषय : मुख्यालय द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट-दिसंबर 2024 की समीक्षा में राजभाषा नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

संदर्भ- मुख्यालय के पत्र संख्या ए-49/15/02/2019-रा.भा. दिनांकित 11 मार्च 2025।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुख्यालय द्वारा जारी तिमाही प्रगति रिपोर्ट-दिसंबर 2024 की समीक्षा रिपोर्ट के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित शाखाओं द्वारा राजभाषा नियमों के अनुपालन में लापरवाही बरती गई है। विशेष रूप से यह पाया गया है कि:

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 91 दस्तावेजों में से 21 केवल अँग्रेजी और 47 केवल हिंदी में जारी किए गए। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ द्विभाषी रूप में ही जारी करना अनिवार्य है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. राजभाषा नियम 1976 के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है। इस तिमाही के दौरान 04 पत्रों का उत्तर अँग्रेजी में दिया गया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्र/संघ क्षेत्र और राज्य सरकारों से अँग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाए। शाखाओं द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
4. मूल पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुसार 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालय को हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित) का लक्ष्य 90% है। कृपया लक्ष्य प्राप्ति करें।
5. ई-ऑफिस में टिप्पणियाँ हिंदी में ही लिखी जाए। वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुसार 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालय को हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य 55% है। कृपया लक्ष्य प्राप्ति करें।

उपरोक्त उल्लंघन न केवल राजभाषा नियमों की अवहेलना है , बल्कि निगम के निदेशों की भी अवज्ञा है। उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि भविष्य में राजभाषा नियमों का उल्लंघन न करें और दिए गए निदेशों को अनुपालन सुनिश्चित करें।

उक्त पत्र चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन से जारी किया गया हैं।

संलग्न: मुख्यालय पत्र।

Digitally signed by
KUMAR KUNJAN
Date: 20-05-2025
11:35:03

(कुमार कुंजन)
उप निदेशक – राजभाषा प्रभारी

सेवा में,

1. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर ।
2. सहायक चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर ।
3. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर।
4. समस्त सहायक निदेशक एवं शाखा अधिकारी प्रशासन/सामान्य/नकद/वित्त/अतिविशिष्ट/मेडिकल स्टोर एवं सतर्कता शाखा, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर
5. कार्यालय प्रति, नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एंव रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क.रा.बी.नि. Employees' State Insurance Corporation
E.S.I.C. (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49/15/02/2019-रा.भा. दिनांक: .03.2025

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,
अंकलेश्वर, गुजरात।

विषय : हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट–दिसंबर, 2024 की समीक्षा।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय को भेजी गई हिन्दी **तिमाही प्रगति रिपोर्ट–दिसंबर, 2024** रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पाया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई अपेक्षित है:-

1.राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी दस्तावेज
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कुल 91 दस्तावेजों में से 21 दस्तावेज केवल अंग्रेजी में तथा 47 दस्तावेज़ केवल हिन्दी में जारी किए गए हैं। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। भविष्य में धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ द्विभाषी रूप में ही जारी करना सुनिश्चित करें।

2.हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)
राजभाषा नियम 1976 के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों का यथा अपेक्षित उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है। आपके कार्यालय में हिंदी में प्राप्त 04 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है। यह उपर्युक्त **राजभाषा नियम-5** का उल्लंघन है। कृपया हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना सुनिश्चित करें।

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने (केवल 'क'एवं 'ख'क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)
'क' एवं 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त क्रमशः 08 और 87 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए हैं। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पहले आठ खंडों और राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14034/15/87-रा.भा.(क.I) दिनांक 26 फरवरी, 1988 के अनुसरण में 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्र/संघ क्षेत्र और राज्य सरकारों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाने हैं। अतः आपके कार्यालय द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है| कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. भेजे गए कुल पत्रों का ब्योरा
मूल पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। कृपया लक्ष्य प्राप्ति करें और इसके लिए गंभीर प्रयास किए जाएँ।

5.फाइलों पर हिंदी में कार्य
कृपया ई-ऑफिस में टिप्पणियाँ पूर्व की भांति हिंदी में ही लिखी जाएँ।

6.हिंदी कार्यशाला
यह सराहनीय है कि तिमाही के दौरान हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई है। कृपया इसे बनाए रखें।

7.विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक
यह सराहनीय है कि तिमाही के दौरान विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया है,कृपया इसे बनाए रखें।

8. हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त न होने के संबंध में
दिसंबर,2024 की रिपोर्ट के अतिरिक्त वर्ष 2024 के दौरान कोई भी हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कृपया रिपोर्ट भिजवाएँ। साथ ही यह भी अनुरोध है कि प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर रिपोर्ट राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भिजवाई जाए तथा उसका पीडीएफ़ रूप डाउनलोड कर मुख्यालय भिजवाई जाए।

निवेदन है कि अपेक्षित बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजने का श्रम करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 11-03-2025
15:32:14

(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)